स्त्री-विमर्श का उपेक्षित पक्ष- ऑनर किलिंग

डॉ अरुणा त्रिपाठी

असिस्टेंट प्रोफेसर

IPCW, दिल्ली विश्वविद्यालय

ऑनर किलिंग आज के समाज का स्याह सच है, एआई और मशीन लर्निंग के युग में ऑनर किलिंग एक प्रतिगामी प्रथा है। परिवार के किसी सदस्य विशेष रूप से महिला सदस्य की उसके सगे-संबंधियों द्वारा होने वाली हत्या को 'ऑनर किलिंग' कहा जाता है। ये हत्याएँ प्रायः परिवार और समाज की प्रतिष्ठा के नाम पर की जाती हैं। 'अंतरजातीय विवाह' इस शब्द से खाप पंचायतें और ऑनर किलिंग जैसे जटिल मुद्दे जुड़े हुए हैं। खापों द्वारा ऐसे विवाहों का विरोध और आनर किलिंग का पुराना इतिहास रहा है। 16 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि अंतरजातीय विवाह करने वाले बालिग जोड़े पर खाप पंचायतों या अन्य संगठनों का किसी भी प्रकार का हमला गैरक़ानूनी है। जब दो वयस्क विवाह करते हैं, तो कोई खाप पंचायत उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकती है। कुछ वर्षों पूर्व ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने आनर किलिंग से जुड़े अपराधों के लिए विशेष कानून बनाने की मांग की थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे कृत्यों को गैरक़ानूनी क़रार दिया है, तो यह सवाल फिर खड़ा हो गया है कि सामाजिक व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए क्या दृष्टिकोण उचित है।

ऑनर किलिंग वह हत्या है जिसमें, किसी परिवार या समुदाय के किसी सदस्य की हत्या उसी परिवार या समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है और यह हत्या इस विश्वास पर टिकी होती है कि मरने वाले सदस्य के कृत्यों के कारण उस परिवार या समुदाय का अपमान हुआ है। यह अपमान अनेक कारणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न माना जाता है- जैसे परिवार की मर्ज़ी के

विरुद्ध प्रेम-विवाह करना, अंतरजातीय विवाह या सगोत्र विवाह करना, परिवार द्वारा तय किए गए विवाह से इंकार करना, समलिंगी आचरण अपनाना, समुदाय द्वारा निर्धारित वस्त्र संहिता का उल्लंधन करना, विवाहेतर संबंध स्थापित करना या फिर समान लिंग के वयक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना आदि।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) का अनुमान है कि, दुनिया भर में सालाना 5000 के लगभग हत्यायें, सम्मान हत्यायें होती है। आज ऑनर किलिंग से जुड़ी ज़्यादातर घटनाएँ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में हो रही हैं। हाल में इस तरह की कुछ घटनाएँ दक्षिणी राज्यों में भी देखने को मिली हैं (मार्च 2016 में तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में) ।

ऑनर किलिंग केवल सम्मान से जुड़ी बात नहीं है बल्कि इसके पीछे अनेक वजहें हैं। हमारा समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद जाति व्यवस्था की पकड़ आज भी बहुत मजबूत है। यह व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इसमें अंतरजातीय विवाहों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि शादी में स्वयं-चयन का अधिकार स्वीकार्य नहीं हैं और लड़कियों को तो इस पर सोचने का भी अधिकार नहीं है।

पिछले 7 दशकों में शासन अभी भी गावों के अंदर तक अपनी पहुँच नहीं बना पाया है। अधिकतर लोग संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और क़ानूनों से अपरिचित हैं। शासन के स्तर से भी इस विषय पर ठोस प्रयास नहीं किए गए और इसी खालीपन को खाप पंचायतों ने भरा है। इन खाप पंचायतों में ज़्यादातर पुरुष ही हैं और वो भी उच्च वर्ग के। इसी कारण खाप पचायतें इन मामलों में सामाजिक बहिष्कार, अर्थदण्ड और मृत्युदंड के फ़ैसले सुनाती हैं। ऐसी घटनाएँ ज़्यादातर उन्ही क्षेत्रों में हो रही हैं जहां लिंगानुपात कम है और अशिक्षा का माहौल है। अशिक्षित जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती इसलिए वो इन खापों के निर्णयों को आसानी से स्वीकार कर लेती है। वोट

बैंक की राजनीति के कारण कुछ नेता भी इन पंचायतों को प्रश्रय देते हैं और उनके निर्णयों को सहमति। यह हमारे समाज की विडम्बना ही है कि हम कृष्ण को पूजते हैं और प्यार करना एक सामाजिक अपराध मानते हैं। लोग अपने स्वयं के कर्मों से नहीं बल्कि शादी-विवाह जैसे कार्यों से अपना स्तर आंकना और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनर किलिंग केवल उच्च वर्ग से ही जुड़ा मसला है, यह बुराई तथाकथित निम्न वर्ग में भी आ चुकी है। दलित और जनजातीय वर्गों मे भी ऐसी घटनाएँ देखी गई हैं।

भारत सरकार के विधि आयोग ने अगस्त 2012 सरकार को अपनी अनुशंसा दी थी जिसमें ऑनर क्राइम को परिभाषित करना, युवा जोड़ों के अधिकारों को चिन्हित करना, जीवन साथी चुनने की आजादी, आदि प्रावधान उल्लिखित थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे पूर्णतया गैरक़ानूनी, देश पर एक धब्बा और बर्बरता पूर्ण कृत्य बताते हुए इसको पूर्णतया खत्म करने की बात कही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को इस तरह के मामलों को "दुर्लभतम" (रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर) की श्रेणी में रखकर अपराधी को दंड देने का आदेश दिया है।

आज विश्व में भारत की छवि एक न्यायपूर्ण राष्ट्र के रूप में है और इस छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए न्यायालय के साथ-साथ अन्य पक्षों की भागीदारी भी आवश्यक है। इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। आज समाज का छोटे से छोटा मुद्दा भी मीडिया में स्थान पा लेता है। यदि समाचार पत्रों, आलेखों और टीवी डिबेटों के माध्यम से लोगों तक उनके स्वयं के और दूसरों के अधिकारों की जानकारी पहुंचाई जाय तो यह निश्चित तौर पर सहायक होगा। कन्या भ्रूण-हत्या के प्रति जागरूकता इस मुद्दे का स्वयं-समाधान है। शिक्षा अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार है, साथ ही शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनेगीं। राज्य सरकारों को भी महिला समानता के लिए अलग से बजट निर्धारित कर उसके सही कार्यान्वयन पर ज़ोर देना होगा। समाज कल्याण विभाग और राज्य महिला

आयोग इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। खाप पंचायतों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने से उनके फैसलों मे संवेदनशीलता और वृहद स्वीकार्यता आएगी। अब वह समय आ चुका है कि हम ऑनर किलिंग जैसी बुराइयों को समाज से ख़त्मकर एक नए और प्रगतिशील भारत का निर्माण करें।

संदर्भ सूची

1. गर्ग, डॉ संजय, स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास, सामयिक प्रकाशन, दिल्ली, 2014
2. देसाई, नीरा एवं ठक्कर, ऊषा, भारतीय समाज में महिलाएं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, 2017
3. जोशी, गोपा, भारत में स्त्री असमानता एक विमर्श, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2015
4. https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8_%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE
5. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-1014-honour-killing-in-india.html
6. https://www.merriam-webster.com/dictionary/honor%20killing
7. https://ijcrt.org/papers/IJCRT2107088.pdf
8. https://blog.ipleaders.in/reasons-honour-killing/